न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन(राज.)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
तहसीलदार कुचामन सिटी		उदय सिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत वगैराह निवासी सिडीयास तहसील कुचामन सिटी

राजस्व प्रार्थना–पत्र = प्रार्थना–पत्र बाबत् रास्ता अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957

राजस्व प्रार्थना–पत्र नम्बर = 16 /2025 GCMS No.2025/ 17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
09.01.2025	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिए तहसीलदार कुचामन सिटी की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 आरएलआर एक्ट 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण का अवलोकन किया गया। ग्राम सिड़ियास पटवार मण्डल पलाड़ा के खसरा 79, 80, 81, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 19 में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेज चालू नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी परिशिष्ट ''ए'' एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा की गई। सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् में से जा रहा चालू रास्ता सार्वजनिक हितार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। जिसको राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न पटवारी रिपोर्ट परिशिष्ट ''ए'' के अनुसार खसरा नम्बरान् की भूमि में से राजस्व रेकर्ड में रास्ता अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। रास्ते में अंकन होने वाली भूमि संबंधित खातेदारों के खाते में दर्ज रहेगी। पटवारी रिपोर्ट परिशिष्ट ''ए'' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sunil Kumar Date: 2025.06.27 13:32:06 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (कुचामन)	